राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 64/2025 प्रार्थना पत्र

अनवान

देवीलाल पुत्र जवानमल जाति कलाल आयु बालिग निवासी डांसरिया मंगरदों तहसील भीम जिला राजसमन्द

.... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम जिला राजसमंद

...........अप्रार्थी

उपस्थिति :—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चिमन सिंह चौहान
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः— 18/7/2025

01. प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि मौजा नेड़ी पटवार हल्का भीम तहसील भीम जिला राजसमंद के खसरा नम्बर 16308/14921 रकबा 0.1457 है0 भूमि आई हुई है जो पूर्व में पेमा पिता मंदरूप जाति गाढोलिया निवासी पाटिया भीम को आवंटित हुई थी। उक्त आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि को मुझ प्रार्थी ने जरिये विक्रय विलेख क्रय की जाकर मौके पर कब्जे के अनुरूप काबिज होकर अपने हिस्से को उन्नत व विकसित बनाकर कृषि हेतु उपयोग करते चले आ रहे है। उक्त भूमि लक्ष्य में रोड के पास में लगती हुई थी किन्तु उक्त आराजियात को ऑनलाईन नक्शें में गलत तरीके से रोड़ से आधा किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में दर्शा दिया जो पूर्णतया गलत है। उक्त आराजियात के पास में लगती हुई अन्य आराजी नम्बर 16699/14921 पूर्व नक्शे में स्पष्ट रूप से उक्त भूमि मेरी वर्तमान आराजी नम्बर 16308/14921 पर कब्जा तथा रिकॉर्ड में मेरे भूमि का गलत जगह इन्द्राज होने पर मौके व कब्जे में तथा रिकॉर्ड में भिन्नता उत्पन्न हुई जिसे दुरस्त किया जाना उचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मेरी भूमि खसरा नम्बर 16308/14921 को पुराने नक्शे के अनुरूप वर्तमान ऑनलाईन नक्शें में शुद्धि किया जाकर तहसीलदार भीम को पालना हेतु निर्देश जारी करें।

02. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाद जांच दिनांक 02.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर तहसीलदार भीम ने पटवार हल्का भीम की जांच रिपोर्ट मूल ही पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नेड़ी में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीम के आदेश क्रमांक रीडर/कोर्ट/2015/23 दिनांक 28.01.2016 की पालना में तहसीलदार भीम के आदेश क्रमांक भू.अ./16/440 दिनांक 11.02.2016 डिक्री आदेश से नामान्तरण संख्या 815 द्वारा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि पेमा पिता मंदरूप गाढोलिया लौहार के नाम आवंटित हुई थी। उक्त भूमि के नामान्तरकरण में चस्पा नक्शा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम जिला - राजसमन्द

ट्रेस के अनुसार उक्त भूहमि के दोनों खसरे एक साथ अंकित होकर नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित है जो मौका फर्द के साथ संलग्न है परन्तु वर्तमान भू नक्शें में उक्त भूमि की तरमीम गलत हो रखी है। अतः वर्तमान नक्शे में आराजी नम्बर 16308/14921 को चारागाह में अंकित जगह से बदलकर पूर्ववत नक्शे/नामान्तरकरण में चस्पा नक्शा अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।

03. प्रार्थी देवीलाल पुत्र जवानमल ने शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मेरी भूमि कब्जे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। जबकि मैंने पेमा पुत्र मंदरूप से जरिये मुख्य अभिलेख क्रय करते समय सड़क के पास मौके पर कब्जा तत् समय राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अनुसार मौके पर कब्जा प्राप्त किया था तथा निरंतर उक्त भूमि को उन्नत व विकसित बनाकर कृषि हेतु उपयोगी बनवाया। लेकिन ऑनलाईन नक्शें में राजस्व कार्मिकों ने उक्त आराजियात को गलत तरीके से रोड से आधा किलोमीटर दूर दर्शा दिया जो गलत होकर मेरे हितों के विपरीत है। अतः उक्त नक्शें में गलत तरमीम की गई भूमि खसरा नम्बर 16308/14921 को मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाकर तहसीलदार भीम को ऑनलाईन नक्शें में शुद्धि करने हेतु निर्देशित करें। शपथ पत्र व मौका जांच रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी का शपथ पत्र भी शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18.07.2025 को मुकर्रर की गई।

04. दिनांक 18.07.2025 को प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार भीम द्वारा पेश मौका जांच रिपोर्ट में मौके पर कब्जा रिकॉर्ड के अनुसार नई आराजी को ऑनलाईन नक्शें पर शुद्ध किया जाने पर तहसीलदार भीम ने सहमति जाहिर की है। अतः तहसीलदार भीम की जांच रिपोर्ट अनुसार मेरी आराजी खसरा नम्बर 16308/14921 को पूर्व रिकॉर्ड के अनुसार ऑनलाईन नक्शे में दुरस्त करने के आदेश प्रदान करें।

05. हमने प्रार्थी के प्रार्थना, अप्रार्थी के जवाब व जांच रिपोर्ट प्रार्थी के शपथ पत्र व राजस्व रिकॉर्ड व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन, अवलोकन किया। सुसंगत कानूनी प्रावधानों का अध्ययन, अवलोकन किया। प्रार्थी के बहस के तर्को पर मनन किया। अप्रार्थी की सहमति राजस्व रिकॉर्ड की जांच रिपोर्ट व प्रार्थी के निवेदन का विश्लेषण करने के बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना अनुसार एतदद्वारा यह आदेशित किया जाता है कि मौजा नेड़ी पटवार हल्का भीम तहसील भीम जिला राजसमंद के खसरा नम्बर 16308/14921 रकबा 0.1457 है0 भूमि को तहसीलदार भीम द्वारा पेश मौका जांच रिपोर्ट के नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित अनुसार व नामान्तरकरण में चस्पा नक्शा ट्रेस के अनुसार ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरस्त किया जावे। तहसीलदार भीम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना से अवगत करावे। तहसीलदार भीम द्वारा पेश मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)